

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क)(1)/(एस-522) अलेसे-I/ 1505

दिनांक:-31/3/2022

आदेश

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक 24599-616 दिनांक 11.12.2015 के द्वारा श्री सुरेश कुमार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 का दिनांक 03.02.2014 से 27.06.2014 तक (कुल 145 दिवस) असाधारण अवकाश स्वीकृत कर परिवीक्षाकाल 115 दिवस बढ़ाया गया था।

तत्पश्चात् निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक 24519-616 दिनांक 11.12.2015 द्वारा श्री सुरेश कुमार, परिवीक्षाधीन सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 (सीधी भर्ती-2011 बैच) को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, 1963 के नियम 34 के अन्तर्गत दो वर्ष का परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने एवं लेखाकार आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर उत्तीर्ण होने के फलस्वरूप इनका परिवीक्षाकाल 115 दिवस बढ़ाया जाकर दिनांक 13.06.2015 को स्थायी किया गया था।

वित्त (नियम) विभाग के स्पष्टीकरण दिनांक 25.10.2019 के बिन्दु 2 के अनुसार श्री सुरेश कुमार का परिवीक्षाकाल 2 वर्ष 115 दिवस के स्थान पर 2 वर्ष 55 दिवस कर सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 के पद पर दिनांक 13.06.2015 के स्थान पर दिनांक 14.04.2015 को स्थाई किया जाता है।


(भूपेश माथुर)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क)(1)/(एस-522) अलेसे-I/ 1505

दिनांक:-31/3/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला परिवहन अधिकारी, बालोतरा (बाड़मेर)।
2. श्री सुरेश कुमार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11, कार्यालय- जिला परिवहन अधिकारी, बालोतरा (बाड़मेर)।
3. उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
5. पदस्थापन सीट/रक्षित/निजी पत्रावली।


(धीरज सिसोदिया)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)